



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या : 2563-मा०सं०-01/वि०उ०नि०लि०/2012-21-मा०सं०-01/2007

दिनांक : 29 जून, 2012

कार्यालय ज्ञाप

प्रशिक्षणोपरान्त अन्तिम संविलीनीकरण परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर उत्पादन निगम लि० के नियुक्ति आदेश सं० 1385-मा०सं०-01/वि०उ०नि०लि०/2011 दिनांक 19-05-2011 के सन्दर्भ में तथा उसमें वर्णित सेवा शर्तों के अधीन नियुक्त अधोलिखित लेखाधिकारी (प्रशिक्षुओं) को एतद्वारा दिनांक 18-6-2012 से स्थानापन्न एवम् अस्थाई लेखाधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है तथा उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-7 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

लेखाधिकारी (प्रशिक्षु)

क्रमांक	रोल नं०	अभ्यर्थी का नाम	वर्ग	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5
1	86210018	सुश्री निक्की शिवा	अनु०जा०	हरदुआगंज
2	86210020	श्री आनन्द कुमार	अनु०जा०	ओबरा
3	86210030	श्री देवेन्द्र कुमार	सामान्य	ओबरा
4	90215358	श्री रमेश कुमार	अनु०जा०	लखनऊ

- उपरोक्त सहायक अभियन्ताओं पर उत्पादन निगम लि० में प्रचलित तथा भविष्य में समय-समय पर जारी किये जाने वाले सेवा नियम, विनियम, प्रशासनिक आदेश एवं कर्मचारी भविष्य निधि से सम्बन्धित आदेश लागू होंगे।
- उपरोक्त नियुक्तियों सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन तथा स्वास्थ्य उपयुक्तता संतोषजनक पाये जाने के प्रतिबन्ध के अधीन की गई है। चरित्र एवं पूर्ववृत्त के असंतोषजनक पाये जाने की दशा में सहायक अभियन्ता पद पर नियुक्ति किसी भी समय बिना कारण बताये हुए अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।
- यह नियुक्तियाँ अस्थायी है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र के उचित माध्यम से सत्यापन किये जाने की शर्त पर की जाती है। यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग का दावा झूठा पाया जाता है तो सम्बन्धित सहायक अभियन्ता की सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी और झूटे प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता के उप बन्धों के अन्तर्गत आगे की कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जायेगी।
- यदि किसी भी समय चिकित्सा सम्बन्धी प्रमाण-पत्र अथवा शैक्षिक योग्यता, अनुभव एवं अन्य कोई प्रमाण-पत्र झूठा/फर्जी पाया जाता है तो सेवायें बिना कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 2563(1)-मा०सं०-01/वि०उ०नि०लि०/2012-तददिनांक


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के स्टाफ आफीसर
- निदेशक (तकनीकी/वित्त/कार्मिक), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
- मुख्य अभियन्ता, ओबरा/हरदुआगंज तापीय परियोजना/, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, ओबरा (सोनभद्र)/कासिमपुर (अलीगढ़)।

कमश.....2/-

- 4- मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता, (मा०सं०-०१/०२/०३/०४/०५/०६)/रिफॉर्म/टाण्डा बाइंडिंग सेल/प्रशिक्षण/उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 6- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 7- कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8- सहायक अभियन्ता (डाटा बेस), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 9- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाईल।

आज्ञा से,



(करन लाल आर्य)
कार्यकारी अनुसचिव